न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 99/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– जगराम पुत्र स्व0 कानाराम 2– देराजराम पुत्र स्व0 जगराम 3– श्रीमती रूखियो पत्नी स्व0 लिखमाराम समस्त जातियान जाट निवासी गांव चवा, तहसील व जिला बाडमेर		1–श्रीमती सिणगारी पत्नी हीराराम पुत्री स्व0 कानाराम जाति जाट निवासी सवाऊ पदमसिह तहसील बायतु जिला बाडमेर 2– श्रीमती भूरीदेवी पत्नी केहराराम पुत्री स्व0 कानाराम जाति जाट निवासी गांव सांजटा तहसील व जिला बाडमेर 3– ग्राम पंचायत चवा जरिये सरपंच, तहसील व जिला बाडमेर 4– उदाराम पुत्र स्व0 कानाराम 5– धर्माराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी गांव चवा तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 14/2010 अनवान श्रीमती सिणगारी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत चवा वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम.एल,खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री के.सी.चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 4 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 5 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–10–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चवा तहसील बाडमेर के खसरा नंबर 826 रकबा 96 बीघा 09 बिस्वा भूमि काना पुत्र बन्ना कौम जाट जाणी सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार कानाराम के फोत होने पर उसके खातेदारी की उक्त भूमि के संबंध मे सरपंच ग्राम पंचायत चवा द्वारा स्वीकृत फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 547 दिनांक 4–8–1986 के विरूद्ध वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अपील संख्या 14/2010 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 30–5–2016 से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–5–2016 विधि के विपरीत, मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 547 जो विधिसम्मत तरीके से

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सरपंच ग्राम पंचायत चवा द्वारा दिनांक 4–8–1966 को स्वीकृत किया था तथा उक्त म्युटेशन के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 23–24 वर्ष विलंब से प्रथम अपील पेश की थी तथा अपील के साथ मयाद को कंडोन करने के लिए जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया था, उसमे कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष अत्यधिक देरीना प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए स्वीकार करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने मयाद के बिन्दु पर अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि म्युटेशन के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर ही अपील पेश की जा सकती है इसके पश्चात विलंब से अपील पेश होने पर विलंब का डे–टू–डे स्पष्ट कारण धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेख करना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे धारा 5 मयाद अधिनियम मे विलंब से अपील प्रस्तुत करने का ऐसा कोई डे–टू–डे का कारण दर्शाया नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्रीमती सिणगारी एवं श्रीमती भूरीदेवी मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां है अथवा नही । अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी जांच नही करवाई और न ही अधीनस्थ न्यायालय मे इनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण ही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जिससे यह साबित हो कि वे मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां है तथा उनका उक्त अपीलाधीन खातेदारी मे अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के कथन को सही मानते हुए लगभग 23–24 वर्ष स्वीकृत हुए नामांतरतरण को निरस्त करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण के नोटिस प्रोपर तामिल नही करवाये गये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अपना हिस्सा होने का क्लेम किया है जबकि वर्तमान प्रकरण मे अपीलाधीन भूमि स्व0 कानारामजी के संयुक्त परिवार की थी तथा संयुक्त परिवार मे वे स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र व पुत्रियां सदस्य व सर्वाइवर थे तथा जैसे ही पुत्रियां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का विवाह हो गया, तो वे स्व0 कानाराम के संयुक्त परिवार के सदस्य नही रही और अपने पति के संयुक्त परिवार की सदस्य हो गई इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि मे कोई अधिकार सृजित नही होते है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर गौर किये बिना जो

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकार सृजित नही हो सकते है बल्कि अधिकारो का निर्धारण तो नियमित वाद की कार्यवाही के जरिये ही हो सकता है इसलिए यदि 23–24 वर्ष पश्चात यदि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपने आप को मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां होने तथा उसके अनुसार अपीलाधीन भूमि मे अपना अधिकार होना मानती है तो उन्हे पहले नियमित वाद पेश कर जिसमे साक्ष्य, सबूत आदि के जरिये अपने अधिकारो का निर्धारण करवाना होगा । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016 को निरस्त कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 547 दिनांक 4–8–86 को बहाल रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016 को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए उन्हे उनके पिता के खातेदारी अधिकारो से वंचित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन केवल मृतक खातेदार के पुत्रो के नाम स्वीकृत कर दिया, उक्त विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 547 दिनांक 4–8–1986 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन भूमि मे पुत्रियो का राईट मानते हुए अपीलाधीन म्युटेशन को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उक्त म्युटेशन को खारीज कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को स्व0 कानाराम के विधिक वारिसान की जांच, जांच उपरांत नियमानुसार म्युटेशन पारित करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016, तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 547 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 547 मे वर्णित खातेदारी भूमि के खातेदार कानाराम के फोत होने पर उसके खातेदारी बाबत फोतेदगी म्युटेशन संख्या 547 मृतक के वारिसान मे केवल पुत्रो के नाम ही दर्ज करते हुए पटवारी हल्का ने पेश किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत चवा ने भी बिना विधिक वारिसान की जांच करवाये उक्त म्युटेशन को प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 4–8–86 के द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार पुत्र एवं पुत्रियो का उसके

पिता के खातेदारी की भूमि मे समान अधिकार थे । ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 547 पर ग्राम पंचायत चवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–1986 विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन के विरूद्ध मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियों (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अंदर मयाद स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 547 को खारीज कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को स्व0 कानाराम के विधिक वारिसान की जांच, जांच उपरांत नियमानुसार म्युटेशन पारित करने का जो आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य है ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 23–24 वर्ष विलंब से अपील पेश करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अंदर मयाद सुमार करने का प्रश्न है तो इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जो आदेश प्रारंभ से ही शून्य या त्रुटिपूर्ण हो, तो ऐसे एब–एनिश्यो–वॉईड आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण को देखते हुए अपील को अंदर मयाद स्वीकार करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे भी किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26/10/20 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

26/10/2020

(अरूण पुरोहित)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जोधपुर